

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE
BHARTIYA NAGRIK SURAKSHA SANHITA, 2023**

in the Court of प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

SUM Case No. 690/2026 Complaint or report made on FIR/P.O.R.No-102/2026

Name and address of the Complainant :- म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सतनवाडा
शिवपुरी,

Name, Parentage, Caste and Address of accused

अभियुक्त का नाम— **पिंकी मोगिया पत्नी सूरज मोगिया उम्र 24 वर्ष निवासी आदिवासी
बस्ती हाई स्कूल के पास सतनवाडा थाना सतनवाडा शिवपुरी**

The offence complained of and date of its alleged commission --

आप अभियुक्त पर अभियोग है कि:—

आप दिनांक 09.08.2026 को समय 13:30 बजे से 13:50 बजे के मध्य या उसके लगभग, आदिवासी बस्ती शासकीय स्कूल के पीछे, अंतर्गत आरक्षी केन्द्र सतनवाडा, जिला शिवपुरी म.प्र. में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीबन 5 लीटर रखे हुए पाए गए।

इस प्रकार आपने वह कार्य किया जो धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है। क्या आप अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा विचारण चाहते हो?

—सही—

(प्रीति परिहार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
शिवपुरी (म0प्र0)

The plea of the accused and his examination (if any) -

अभियुक्त का अभिवाक् है कि :—

—सही—

(प्रीति परिहार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
शिवपुरी (म0प्र0)

//निर्णय//

(आज दिनांक 21.08.2026 को घोषित)

01— अभियुक्त **पिंकी मोगिया** के विरुद्ध धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है कि वह दिनांक 09.08.2026 को समय 13:30 बजे से 13:50 बजे के मध्य या उसके लगभग, आदिवासी बस्ती शासकीय स्कूल के पीछे, अंतर्गत आरक्षी केन्द्र सतनवाडा, जिला शिवपुरी म.प्र. में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में **हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीबन 5 लीटर** रखे हुए पाए गए।

02— समरी शीट पर अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् उसके शब्दों में लेखबद्ध गया।

03— अभियुक्त द्वारा अपराध स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। तदनुसार उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर, अभियोजन साक्ष्य को आहूत किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त द्वारा की गई जुर्म की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने के कारण, उसे उक्त अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

04— अभियुक्त समान अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं है। अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं **500/- रुपये (पांच सौ रुपये)** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

05— प्रकरण में जप्तशुदा **हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीबन 5 लीटर** अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की स्थिति में विधिवत नष्ट की जाए तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

06— निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

—सही—

(प्रीति परिहार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
शिवपुरी (म.प्र.)

—सही—

(प्रीति परिहार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
शिवपुरी (म.प्र.)